हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1987-88

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

विषय-सूचि

क्र. सं.	अध्याय-शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	समीक्षा (अंग्रेजी एवं हिन्दी)	1–8
1.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	9–12
2.	प्राथमिक शिक्षा	13–18
3.	माध्यमिक शिक्षा	19–23
4.	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	24–29
5.	छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	30–33
6.	विविध	34–40

NIEPA DC

D06657

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1987-88 OF SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT.

For running the work relating to school education there is an office of the director of school education in addition to administrative department, which keeps co-ordination between government and district offices, implements education policies and inspects the education work. There are offices of the district education officers for running the educational administration and inspection of each district. For educational administration and Inspection work of primary education there are offices of block education officers.

For the educational and administrative work of adult education and non-formal education there are offices of adult education officers at district level.

During the year 1986-87 the main education work/policies of the state are as under :—

Primary Education :

Education for the children of 6-11 age is available at walkable distance in the state. Free education is provided to the children of 6-11 age in govt. primary schools. Free stationery was provided to the children of Scheduled caste and weaker sections of society. Free uniforms were provided to girl students of scheduled caste for their encouragement. Attendance prizes of Rs. 135.00 lakhs were given to scheduled caste girls at the rate of Rs. 10/- per girl per month.

There is no detention of students in first and second classes in the state. The primary school teachers organise monthly meetings in established school complex centres to discuss their teaching problems with one another.

97.6% boys and 72.8% girls of all categories and 106.2% boys and 83.5% girls belonging to scheduled castes in the age-group 6-11 are studying in primary classes in the State.

Secondary Education :

Free education is provided from 6th to 8th classes to all students. Girls of 9th to 12th classes in government schools of the State are also given free education. Special coaching is given to the scheduled caste students of 9th to 11th classes in subjects of Mathematics, English and Science for three months every year so that such weak students can compete with other students.

1222 middle schools, 1897 high schools and 197 senior secondary schools are running in the state in year 1987-88.

The percentage of school going children in the age-group 11-14 is 81.3% boys and 44.1% girls and 45.3% boys and 20.8% Girls in the age-group 14-16. The percentage of school going students belonging to scheduled caste is 67.5% boys and 27.6% girls in the age-group 11-14 and 29.4% boys and 7.9% girls in the age-group 14-16.

Adult Education :

Adult Education programme was started at large scale on October, 2, 1978. Earlier 998 centres of adult education were running in some districts of the State. 5998 adult education Centres were functioning in 1987-88 in which 43947 men and 138601 women got literacy.

There is a Sharmik Vidya Peeth in Faridabad for providing education to labourers.

The expenditure on Adult Education in the year 1987-88 was Rs. 217.37 lakhs (Provisional).

Non-Formal Education :

There was an arrangement of non-formal education in the state for the children of 6-14 age-group who could not get school education due to family, economic, social or any other reasons. 5974 Centres of non-formal education were functioning in the year 1987-88 in which 66573 boys and 108559 girls received education. Free stationery and text books were provided to students for encouragement.

During the year 1987-88 Rs. 83.26 lakhs were spent on non-formal education.

Other Programmes :

1. A State Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of educational institutions, administrators connected with education and teachers through the activities of standardization of education, research, innovation, study and training.

2. Socially useful productive work is compulsory subject for secondary classes. Rs. 6.86 lakhs were spent on work experience in 1987-88.

3. Rs. 211.00 lakhs were spent by public works department on construction of school building/Class rooms of govt. primary/middle/high/higher secondary schools.

4. The language of Haryana State is Hindi. English is taught as second language from 6th class and in addition Punjabi, Sanskrit and Urdu as third language. The facility of teaching of telugu is also available in 52 schools.

5. An amount of Rs. 37.50 lakhs was sanctioned for strengthening the Book-Banks. Paper at cheap rate was given to approved small industrial units for supplying cheap note-book.

6. Selected teams from schools of state got 215 medals in school sports competitions. Rs. 15.00 lakhs were distributed amongst 500 primary schools at the rate of Rs. 3,000/- per school for providing sports material and promoting Sports facilities.

7. Aid of Rs. 785243 was given from national teachers welfare Fund to teachers and their dependents in unconginial circumstances.

8. Three Committees have been constituted in the state which review the implementation of New Education Policy.

विद्यालय शिक्षा विभाग की वर्ष 1987-88 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

विद्यालय शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकीय विभाग के अतिरिक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा का कार्यालय है, जो शिक्षा नीतियों को कार्यान्वित करने और शिक्षा कार्य का निरीक्षण करने के लिए सरकार और जिला कार्यालयों के बीच तालमेल बनाए रखता है । शिक्षा प्रशासन को चलाने और जिला शिक्षा प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले का निरीक्षण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं और प्राथमिक शिक्षा का निरीक्षण कार्य करने के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं।

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य के लिए जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं ।

वर्ष 1986-87 के दौरान मुख्य शिक्षा कार्य/नीतियां निम्नानुसार हैं :—

प्राथमिक शिक्षा

राज्य में 6—11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा पैदल चलने योग्य दूरी पर उपलब्ध है । राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 6—11 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त लेखन सामग्री दी गई। अनुसूचित् जातियों की छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिये मुफ्त वर्दी दी गई । अनुसूचित जातियों की छात्राओं को 10/— रु0 मासिक प्रति छात्रा के हिसाब से 135.00 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये ।

राज्य में पहली तथा दूसरी श्रेणी में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करने के लिए विद्यालत केन्द्रों में मासिक बैठकें करते हैं।

राज्य में 6–11 आयु वर्ग के कुल 97.6 प्रतिशत लड़के तथा 72.8 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक श्रेणियों में पढ़ रहे हैं जिसमें से 106.2 प्रतिशत लड़के तथा 83.5 प्रतिशत लड़कियां अनुसूचित जातियों से है ।

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में छट्ठी से आठवीं तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं की छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । नौवीं से ग्यारहवीं कक्षाओं के अनुसूचित जातियों के छात्रों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के विषयों मे वर्ष में तीन मास की विशेष कोचिंग दी जाती है, ताकि अनुसूचित जातियों के कमजोर छात्र अन्य छात्रों की समानता में आ जायें ।

वर्ष 1987-88 में राज्य में 1222 मिडल विद्यालय, 1897 उच्च विद्यालय तथा 197 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चल रहे है ।

11–14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 81.3 लड़के और 44.1 लड़कियां हैं और 14–16 आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिशतता 45.3 लड़के तथा 20.8 लड़कियां हैं । अनुसूचित जातियों के 11–14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 67.5 लड़के तथा 27.6 लड़कियां हैं और 14—16 आयु वर्ग में उनकी प्रतिशतता 29.4 लड़के और 7.9 लड़कियां हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया था । इससे पहले प्रौढ़ शिक्षा, के 998 केन्द्र राज्य के कुछ जिलों में चल रहे थे । वर्ष 1987-88 में 5998 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 43947 पुरुषों और 138601 महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की ।

फरीदाबाद में श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए श्रमिक विद्यापीठ है ।

वर्ष 1987-88 में प्रौढ़ शिक्षा पर 217.37 लाख रुपये (अस्थाई) खर्च किए गए ।

अनौपचारिक शिक्षा

राज्य में 6-14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और किसी अन्य कारणों से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था थी। वर्ष 1987-88 में अनौपचारिक शिक्षा के 5974 केन्द्र कार्यरत थे, जिनमें 66573 लड़के तथा 108559 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की। प्रोत्साहन के लिए छात्रों को मुफ्त लेखन-सामग्री और पाठ्य पुस्तकें दी गई।

वर्ष 1987-88 के दौरान 83.26 लाख रुपये अनौपचारिक शिक्षा पर खर्च किए गए थे।

अन्य कार्यक्रम

शिक्षा स्तर को समुन्नत करने सम्बन्धी क्रियाकलापों, नयी पद्धति, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है।

2. माध्यमिक कक्षाओं के लिए सामाजिक उपयोगात्मक उत्पादन कार्य को अनिवार्य विषय बना दिया गया। वर्ष 1987-88 में कार्य अनुभव के लिए 6.86 लाख रुपये खर्च किये गये।

3. राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों कक्षों के निर्माण पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 211.50 लाख रुपये खर्च किए गए।

4. हरियाणा राज्य की भाषा हिन्दी है। अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में छठी कक्षा से पढ़ाई जाती है तथा पंजाबी, संस्कृत, उर्दू के अतिरिक्त तृतीय भाषा के रूप में 52 विद्यालयों में तेलगू पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

5. बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 37.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। सस्ती कापियां सप्लाई करने के लिए अनुमोदित लघु औद्योगिक यूनिटों को सस्ती दर पर कागज दिया गया था।

6. राज्य के विद्यालयों की चुनिन्दा टीमों ने विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में 215 मैडल प्राप्त किये। खेल कूद सामग्री की व्यवस्था करने और खेल कूद सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 3000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से 500 प्राथमिक विद्यालयों पर 15 लाख रुपये खर्च किये गये।

7. विपदाग्रस्त परिस्थितियों में अध्यापकों तथा उन पर आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण निधि से 785243 रुपये की सहायता दी गई।

8. नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने हेतु तीन समितियां गठित की गई हैं जो नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं।

अध्याय पहला

1.1 शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री खुर्शीद अहमद ने शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किया। शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, के पद पर श्रीमती किरण अग्रवाल आई0ए0एस0 रही, संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती कमला चौधरी, आई0ए0एस0 ने कार्य किया।

1.2 निदेशालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में निदेशक, विद्यालय शिक्षा के पद पर श्री रमिन्द्र जाखू आई0ए0एस0 ने कार्य किया। निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रुप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया।

पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
1. अतिरिक्त निदेशक	1
2. निदेशक, एस आर सी	1
3. संयुक्त निदेशक	2
4. उप निदेशक	5
5. अध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	1
6. राज्य सर्वेक्षण अधिकारी	1
7. प्रशासन अधिकारी (विद्यालय)	1
8. रजिस्ट्रार शिक्षा	1

	पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
9.	सहायक निदेशक	8
10.	खेल अधिकारी	1
11.	मुख्य लेखा अधिकारी	1
12.	बजट अधिकारी	1
13.	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी	2

1.3 जिला स्तर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त है।

इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों पर है। परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं।

वर्ष 1986-87 में भारत सरकार द्वारा आयोजित पांचवें शिक्षा सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों में एक-एक जिला सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये जिला सर्वेक्षण अधिकारी वर्ष 1987-88 में भी कार्य करते रहे।

1.4 खण्ड स्तर

राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए 118 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने

अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलामे के लिए उत्तरदायी है ।

1.5 विद्यालय स्तर

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबंध क्रमश: मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है । सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी है ।

1.6 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है । शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है । ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं । शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं ।

1.7 शिक्षा पर व्यय

विद्यालय शिक्षा का वर्ष 1987-88 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय

(राशि लाख रुपयों में)

मद	योजनेत्तर	योजना	कुल
1	2	3	4
माध्यमिक शिक्षा	7912.94	644.33	8557.27
प्राथमिक शिक्षा	7128.99	1331.89	8460.88
विशेष शिक्षा	77.08	16.08	93.16
विविध	276.36	—	276.36
जोड़	15395.37	1992.30	17387.67

(ख) परोक्ष व्यय

1	2	3	4
निर्देशन (मुख्यालय)	2.58	2.64	5.22
इन्सपॅक्शन	372.21	—	372.21
जोड़	374.79	2.64	377.43
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष	15770.16	1994.94	17765.10

1.8 वर्ष 1987-88 में अराजकीय विद्यालयों को निम्न अनुदान दिये गये :—

(क) अनुरक्षण अनुदान

राज्य में अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 1987-88 में अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 100.52 लाख रुपये की राशि वितरित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम	संस्था का नाम	राशि (लाख रु० में)
1.	राज्य के मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालय	94.17
2.	कैंट बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय	0.20
3.	साकेत मिडल विद्यालय चण्डीमन्दिर	1.16
4.	संस्कृत महाविद्यालय/गुरुकुल	1.56
5.	हरियाणा वैल्फेयर सोसायटी फार हियरिंग एण्ड स्पीच हैण्डीकैप्ड	2.00
6.	हरियाणा वैल्फेयर सोसायटी फार चाइल्ड वैल्फेयर, चण्डीगढ़	1.43

(ख) कोठारी अनुदान

वर्ष 1987-88 में राज्य के अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 216.20 लाख रुपये का कोठारी अनुदान स्वीकृत किया गया।

अध्याय दूसरा

"प्राथमिक शिक्षा"

2.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां को दी जाती है। राज्य में इस समय शिशु शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों को शिशुओं की देखरेख एवं शिक्षा सुविधा के लिए 20 राजकीय बालवाड़ियां कार्यरत हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

(क) कुल छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	1008	781	1789
स्तर अनुसार	3761	2918	6679

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	176	142	318
स्तर अनुसार	226	178	404

रिपोर्टाधीन अवधि में अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में अध्यापकों की संख्या :—

(क) कुल अध्यापक	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	8	38	46
स्तर अनुसार	15	176	191
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापक			
विद्यालय अनुसार	—	2	2
स्तर अनुसार	—	2	2

2.2 प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है । अत: इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है । इस समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें 99 प्रतिशत ग्रामीण जनता को एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर-2 उपलब्ध है । रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

1. विद्यालयों की संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4445	528	4973
गैर सरकारी	58	17	75

2. छात्र संख्या

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	377529	312022	689551
स्तर अनुसार (I–V)	948826	685802	1634628

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	86524	79152	165676
स्तर अनुसार (I–V)	196316	149378	345694

(ग) 6–10 आयु वर्ग के विद्यालयों में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की 6–10 आयु वर्ग की जनसंख्या के साथ प्रतिशतता :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या की प्रतिशतता	97.6	72.8	85.4
अनुसूचित जातियों की छात्रसंख्या की प्रतिशतता	106.2	83.5	95.0

3. अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
(क) कुल अध्यापकों की संख्या			
संस्था अनुसार	8892	6351	15243
स्तर अनुसार (I–V)	19623	16041	35664
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
संस्था अनुसार	715	91	806
स्तर अनुसार	1514	215	1729

2.3 छात्रवृद्धि अभियान

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के छात्रों/छात्राओं को 10/- रु0 प्रति छात्र लेखन सामग्री के क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। इस योजना के अधीन कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50/- रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराई गई। राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 10/- रुपये प्रति छात्रा प्रति मास की दर से उपस्थिति पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1987-88 में इसके लिए 135 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। 6—11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र-संख्या अभियान चलाया जाता है। इसका प्रचार/प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से करवाया गया तथा उसके लिए 2.50 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई।

2.4 शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के उद्देश्य से शाला संगम योजना चालू की गई थी। इन शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रति मास एक दिन एकत्रित होते हैं तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा सम्बन्धी अध्यापन समस्यों पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं। इसके लिए वर्ष 1987-88 के बजट में 3 07 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

एस. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए व्यापक रूप से साहित्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास संगम

बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते है, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम केन्द्रों के कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई है। इसलिए जिला मुख्यालयों पर शाला संगम केन्द्रों के मुखियों तथा जिला के सभी शिक्षा अधिकारियों की एक-एक दिन की बैठक बुलाई गई ताकि इस बैठक में इस कार्यक्रम का समीक्षा हो सके और इसे नई दिशा देने के सुझाव भी दिये जा सके।

2.5 आपरेशन ब्लैक बोर्ड

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 में लागू की गई है। इसके अनुसार राज्य के सभी जिलों के 20 प्रतिशत सी.डी. ब्लाक्स/शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण करवाया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 20 सी.डी. ब्लाक्स तथा 16 शहरी क्षेत्रों के 959 प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री ब्लैक बोर्ड, चाक, नक्शे लघु पुस्तकालय, चार्ट, खिलाने, खेलों तथा कार्य अनुभव के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध करवाने तथा एक अध्यापक वाले 66 प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त अध्यापक का पद देने हेतु भारत सरकार द्वारा 62.93 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में से 59.27 लाख रुपये की राशि शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री क्रय करने पर व्यय की जा रही है तथा शेष 3.66 लाख रुपये की राशि 66 अध्यापकों के वेतन पर व्यय की जानी है, आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा रही है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो बड़े कमरे और 9-10 फुट चौड़ा बरामदा हो। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 20 सी.डी. ब्लाक्स में 338 अतिरिक्त कमरे तथा 1800 शौचालय बनाने हेतु एन. आर. इ. पी/आर. एल. जी. पी. योजनाओं के अन्तर्गत 96.00 लाख रुपये की राशि सम्बन्धित उपायुक्त महोदयों को भेज दी गई है।

2.6 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते है तथा कुछ मंद होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि

कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-2 सैक्शन बना दिये जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मंद बुद्धि वाले बच्चे दूसरे में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

अध्याय तीसरा

माध्यमिक शिक्षा

3.1 राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय राज्य में माध्यमिक शिक्षा सुविधा 2.06 किलोमीटर की परिधि में तथा उच्च शिक्षा सुविधा 2.59 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध है। वर्ष 1987-88 में माध्यमिक/उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	सरकारी		गैर सरकारी	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक विद्यालय	1015	144	53	10
उच्च विद्यालय	1398	222	192	85
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	125	19	48	5

वर्ष 1987-88 में राज्य में विद्यालयों का स्तर बढ़ाने का कार्यक्रम बंद रखा गया, क्योंकि एक तो राज्य में पहले ही शिक्षा सुविधा संतोषजनक है और दूसरा इस कार्यक्रम के लिए विभाग के पास धनाभाव था। इसके अतिरिक्त राज्य में अराजकीय उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता दी गई तथा 3 अराजकीय विद्यालयों को अस्थाई मान्यता दी गई। वर्ष 1985-86 से राज्य में 10+2 शिक्षा प्रणाली आरम्भ की गई। जिन विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू की गई है उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा प्रदान किया गया। जिन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली चल रही है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	144
अराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	53

राजकीय महाविद्यालय	36
अराजकीय महाविद्यालय	78

रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न विद्यालयों तथा विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या

1. विद्यालय अनुसार	लड़के	लड़कियां	जोड़
माध्यमिक विद्यालय	252471	177741	430212
उच्च विद्यालय	841598	450496	1292094
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	135687	50194	185881
2. स्तर अनुसार			
माध्यमिक स्तर (कक्षा 6–8)	456099	222146	678245
उच्च स्तर (कक्षा 9–10)	167800	67647	235447
वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 11–12)	31807	12721	44528

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

1 विद्यालय अनुसार	लड़के	लड़कियां	जोड़
माध्यमिक विद्यालय	50297	35698	85995
उच्च विद्यालय	140296	63040	203336
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	14491	3152	17643

2. स्तर अनुसार

माध्यमिक स्तर (कक्षा 6–8)	71872	26382	98254
उच्च स्तर (कक्षा 9–10)	20697	4890	25587
वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 11–12)	2673	356	3029

(ग) 11–13 तथा 14–15 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता :—

1. कुल छात्र संख्या की प्रतिशतता	लड़के	लड़कियां	जोड़
11–13 आयु-वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 6–8)	81.3	44.1	63.7
14–15 आयु-वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 9–11)	45.3	20.8	33.8

2. अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता

11–13 आयु-वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 6–8)	67.5	27.6	48.60
14–15 आयु-वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता (कक्षा 9–10)	29.4	7.9	19.3

रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या

(क) विद्यालय अनुसार	पुरुष	महिला	जोड़
माध्यमिक विद्यालय	7125	4342	11467
उच्च विद्यालय	23857	14957	38814
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	3870	2855	6725

(ख) स्तर अनुसार	पुरुष	महिला	जोड़
कक्षा 6–8	13149	7244	20393
कक्षा 9–10	9569	4434	14003
कक्षा 11–12	1396	648	2044

(2) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

(क) विद्यालय अनुसार			
माध्यमिक विद्यालय	396	85	481
उच्च विद्यालय	868	141	1009
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	62	7	69

(ख) स्तर अनुसार			
कक्षा 6–8	329	74	403
कक्षा 9–10	176	34	210
कक्षा 11–12	22	1	23

3.2 छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवी से बारहवीं कक्षा तक लड़कियों की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है। छठी से ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग के छात्रों/छात्राओं को 20 रुपये प्रति छात्रा/छात्र को लेखन सामग्री क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50 रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराई गई। छठी से आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों/छात्राओं को 15/– रु० प्रति मास की दर से वजीफा हेतु 138 लाख रुपये की व्यवस्था कराई गई।

3.3 दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है । क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती है अतः उन विद्यालयों में एक पारी दोपहर से पहले पढ़ती है तथा दूसरी पारि दोपहर के बाद पढ़ती है।

3.4 सहशिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नही है वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

3.5 तेलगू भाषा की शिक्षा

राज्य में तेलगू भाषा सातवी और आठवीं कक्षाओं में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इस भाषा को शिक्षा सुविधा राज्य के 52 स्कूलों में उपलब्ध है। तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/– रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1987–88 में 312 छात्रवृत्तियां दी गई तथा इन पर 37.5 हजार रुपये व्यय किये गये। इस भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो विशेष वेतन वृद्धियों के बराबर राशि भत्ते के रूप में दी जाती है।

3.6 विशेष कोचिंग कक्षाएँ

नौवी, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सकें । ये कक्षाएं आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिए ।

3.7 नवोदय विद्यालय

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 1987–88 में तीन नवोदय विद्यालय खोले गये । ये विद्यालय छायंसा (फरीदाबाद), बुटाना (सोनीपत), औढ़ा (सिरसा) में खोले गये। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य में नवोदय विद्यालयों की संख्या 6 हो गई ।

अध्याय चौथा

4.1 प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

लोकतांत्रिक पद्धति में निरक्षरता एक अभिशाप है। किसी भी स्वतंत्र देश में कुछ व्यक्ति शिक्षा की सामान्य सुविधा से वंचित रहें सभ्य नागरिकों के लिए बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात है। अत: अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि निरक्षरता जैसी महामारी को अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए।

आजकल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मात्र साक्षरता नहीं रहा है, बल्कि जनसाधारण अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाये, वे जो भी धंधा करते है उसे निपुणता से करें, उनमें सामाजिक जागरुकता पैदा हो, सामान्य नागरिकता की व जानकारी प्राप्त करें तथा राष्ट्र की प्रगति में सामान्य रूप से भागीदार बन सकें। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 15–35 वर्ष आयु वर्ग का चयन किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में और पिछड़े वर्ग के लिए खोलने पर जोर दिया जाता है।

हरियाणा राज्य की स्थापना के समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सीमित रूप से चालू था। 1–11–66 को हरियाणा राज्य में चलते फिरते सामाजिक शिक्षा दस्ते थे, जिसके अंतर्गत 58 सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में कार्य कर रहे थे। वर्ष 1968–69 में भारत सरकार की ओर से किसान साक्षरता योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 1977–78 के अंत में कुल केन्द्रों की संख्या 998 हो गई। इसके पश्चात इस कार्यक्रम का और विस्तार हुआ।

वर्ष 1987–88 में 5998 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 1495 पुरुषों के लिए तथा 4503 महिलाओं के लिये थे।

4.2 रिपोर्टाधीन अवधि में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या निम्न प्रकार रही—

	पुरुष	महिला	जोड़
कुल संख्या	43947	138601	182548
अनुसूचित जातियों की संख्या	10034	32949	42983
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों की संख्या	43545	122741	166286

4.3 वित्तीय व्यवस्था

वर्ष 1987–88 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय (प्रोविजनल) निम्न प्रकार था :—

	(लाख रुपयों में)
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	130.65
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	86.72
जोड़	217.37

4.4 लाभार्थियों का मूल्यांकन

वर्ष 1987–88 में 177161 प्रौढ़ शिक्षार्थियों की पढ़ने, लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिसमें 97755 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुये जिनमें 73685 महिलायें थीं।

4.5 स्वैच्छिक संस्थाएँ

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान देती है। वर्ष 1987–88 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत

सरकार द्वारा अनुदान दिया गया, वे संस्थायें तथा उन द्वारा चलाये गये केन्द्रों की संख्या निम्न है :—

स्वैच्छिक संस्थाएँ	चालू केन्द्रों की संख्या
1. जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी (महेन्द्रगढ़)	300
2. सैंटपाल समिति एवं शिक्षा न्यास, अम्बाला शहर	100
3. शिक्षा शैक्षणिक संस्था, हरियाणा, शहजादपुर (अम्बाला)	60
4. पी०एच०डी० ग्रामीण विकास संस्थान लिमि०, दिल्ली ।	30
5. हरियाणा राजकीय अध्यापक भवन न्यास, निलोखेड़ी ।	100
6. विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत)	160

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है । वर्ष 1987–88 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक को 116 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को 90 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिया गया ।

4.6 राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यक सामग्री तैयार करने तथा उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र कार्यरत है । उसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

4.7 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981–82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई थी । इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल अर्द्धकुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है ।

अनौपचारिक शिक्षा

4.8 ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, अंशकालिक शिक्षा देने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। हरियाणा राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान रूप रेखा 2 अक्तूबर 1978 को अपनाई गई, जब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। वर्ष 1979–80 में 2500 प्राथमिक स्तर के तथा 120 माध्यमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत थे। कार्यक्रम को कार्यन्वित करते समय यह पाया गया कि माध्यमिक स्तर के केन्द्र कई कारणों जैसे उचित योग्यता वाले विज्ञान एवं गणित के के अनुदेशकों का न मिलना तथा प्रयोगशाला का उपलब्ध न होना से ठीक प्रकार से नहीं चल रहे थे। अतः उन्हें बाद में प्राथमिक स्तर के केन्द्रोंमें परिवर्तित कर दिया गया था। वर्ष 1987–88 में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 6010 प्राथमिक स्तर तथा 100 माध्यमिक स्तर थी, जिनमें 5899 प्राथमिक स्तर के तथा 75 माध्यमिक स्तर के केन्द्र चालू थे।

रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी।

	प्राथमिक		माध्यमिक	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1. कुल छात्र संख्या	65188	108307	1385	252
2. ग्रामीण क्षेत्र की छात्र संख्या	60761	98387	1292	194
3. अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	17369	32993	173	50

वर्ष 1987–88 में 1.54 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था जिसके सम्मुख 1.75 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया।

वित्त व्यवस्था

वर्ष 1987-88 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोविजनल) किया गया।

		(राशि लाखों में)
1.	योजनेत्तर	48.75
2.	योजना	34.51
	जोड़	83.26

छात्रों को प्रोत्साहन

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्य अनुभव के लिए शिक्षा सामग्री उपलब्ध की जाती है। अनुसूचित जाति की लड़कियों को, जिनकी कम से कम 30 प्रतिशत उपस्थिति हो, मुफ्त वर्दियां दी जाती हैं। बहुत सारे केन्द्रों में सिलाई की मशीनें, स्वेटर, बुनाई की मशीनें तथा खिलौने और बैग और सजावट की वस्तुएं बनाने के प्लास्टिक केन उपलब्ध की गई।

मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं, एक वे बच्चे जो बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं तथा दूसरे वे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ने कभी गये ही नहीं। पहली प्रकार के बच्चों में से कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुन: विद्यालयों में दाखिल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं, जिनका मूल्यांकन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्ष की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करके पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं। उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। माध्यमिक केन्द्रों में विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा की परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है।

इस वर्ष की स्थिति निम्न प्रकार है :—

	परीक्षा में बैठे		उत्तीर्ण हुये	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कक्षा 1-5	67551	107218	44697	70812

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की देखरेख के लिए अलग से कोई प्रशासकीय अमला स्वीकृत नहीं है । इन केन्द्रों की देखरेख और मूल्यांकन आदि का कार्य जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है । अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को इकट्ठा ही रखा गया है और प्राय एक ही अनुदेशक इन दोनों केन्द्रों को चलाता है ।

———

अध्याय पांचवां

5.1 छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-2 योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुये अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

5.2 योग्यता छात्रवृत्ति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/- रु० प्रति मास की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। वर्ष 1987-88 में 6000 छात्रवृत्तियां दी गई तथा इसके लिए 7.20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 1986-87 में भी 6000 छात्रवृत्तियों पर 7.20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ख) आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में 15/- रु0 मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है। वर्ष 1987-88 में 1700 छात्रवृतियां दी गई तथा 6.12 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 1986-87 में 5750 छात्रवृत्तियों के लिए 11.03 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

5.3 सैनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने वाले 600 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृत्तियों एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 32.60 लाख रुपये व्यय किये गये। जबकि वर्ष 1986-87 में 600 छात्रों पर 24.60 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

5.4 पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 20/- रुपये प्रति छात्र प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1987-88 में इस योजना पर 53.50 लाख रुपये खर्च हुये तथा 25292 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

5.5 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में अनुसूचित जाति के सभी छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं से बारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन जाति के विद्यार्थियों को

20/- रु० की दर से छात्रवृत्ति दी गई। वर्ष 1987-88 में इस योजना पर 68 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 24218 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

5.6 तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतू छात्रवृत्ति

हरियाणा राज्य में तेलगू भाषा पढ़ रहे सातवीं तथा आठवीं कक्षा के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा तीन छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षा के लिए 10/- रु० प्रति मास की दर से दी जाती हैं। वर्ष 1987-88 में तेलगू भाषा 52 विद्यालयों में पढ़ाई गई तथा कुल 312 छात्रवृत्तियां दी गई। इस योजना पर लगभग 37.05 हजार रुपये खर्च किये गये।

5.7 विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देना

विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। इस योजना के अधीन पहली कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 1987-88 में इस परियोजना पर 5.00 लाख रुपये व्यय हुये तथा 5245 छात्रों को लाभ पहुंचा।

5.8 हरिजन छात्राओं की योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अधीन प्रत्येक जिले में पांच छात्रवृत्तियां नौवीं कक्षा में दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां मिडल स्तरीय परीक्षा के आधार पर दी जाती है तथा दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में भी जारी रहती हैं। ये छात्रवृत्तियां नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 40/- रुपये 50/- रु० तथा 60/- रु० प्रति मास की दर से दी जाती हैं। इस छात्रवृत्ति पर वर्ष 1987-88 में 1.20 लाख रुपये व्यय किये गये।

5.9 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर भारत सरकार की ओर से 7 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से

दी जाती हैं। छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें 100/- रु0 प्रति मास, तथा डे स्कालरज को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो नौवीं तथा 10 वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/- रु0 प्रति मास और 11वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले को 60/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 1987-88 में इसके लिए 3.98 लाख रुपये की व्यवस्था प्रदान की गई। इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1986-87 में की गई।

अध्याय छठा

विविध

6.1 शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 1987-88 में ओ0टी0 तथा बी0एड0 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद रहा। केवल जे0बी0टी0 विद्यालय, फिरोजपुर नमक (गुड़गावां) में बी0एड0 प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा गया।

10,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलवाया गया।

6.2 समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इसे नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना दिया है। वर्ष 1987-88 में उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को इस कार्यक्रम के लिए 1.86 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त 500 रुपये प्रति विद्यालय की दर से 1000 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को 5.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

6.3 विद्यालय भवनों की देखभाल

वर्ष 1987-88 में राजकीय विद्यालयों की मुरम्मत के लिए 166 लाख रुपये योजना पक्ष पर तथा 45.00 लाख रुपयें योजनोत्तर पक्ष पर निर्माण मुरम्मत हेतु बजट में व्यवस्था की गई। इस राशि से लोक निर्माण विभाग

द्वारा 133 विद्यालयों की मुरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया तथा 134 विद्यालयों की मुरम्मत का कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की राशि प्राथमिक विद्यालयों की मेंटेनेंस हेतु नान प्लान बजट में स्वीकृत की गई जो 500/- रु० प्रति प्राथमिक विद्यालय पर खर्च करने हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को बांट दी गई, जिससे लगभग 500 प्राथमिक विद्यालयों की छुटपुट मुरम्मत का कार्य करवाया गया।

वर्ष 1987-88 में एन0 आर0 इ0 पी0/आर0 एल0 इ0 जी0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत 96.00 लाख रुपये की राशि का ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने हेतु बजट में प्रावधान रखा गया। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत इस राशि से 20 सामुहिक विकास खण्डों के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो कमरे तथा शौचालय (लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग) का निर्माण करवाने के लिए उपायुक्तों को दी गई। इसके द्वारा 338 कमरे तथा 1800 शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 24.00 लाख रुपये की राशि इसी स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाने हेतु खर्च की गई, जिसके अन्तर्गत 292 अतिरिक्त कमरो का निर्माण हो जाने की सम्भावना है।

रिपोर्टाधीन अवधि में 7 प्राथमिक, 5 माध्यमिक, 7 उच्च तथा एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया गया तथा 43 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6.4 भाषा नीति तथा भाषाई अल्प संख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है। विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा के रूप में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 35 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं

श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्धित हो तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि में हरियाणा राज्य में उर्दू और पंजाबी भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इन भाषाओं की पढ़ाई के लिए जहां एक कक्षा में आठ विद्यार्थी या मिडल/हाई/सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय के प्राथमिक सैक्शन में 30 विद्यार्थी होंगे वहां इन भाषाओं को पढ़ाने की सुविधा दी जायेगी।

6.5 विद्यालय क्रीड़ा

वर्ष 1987–88 में हरियाणा राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर दुर्ग, अमरावती, जम्मु, चण्डीगढ़ तथा कलकत्ता में आयोजित खेल–कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर इस राज्य के 650 खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा 215 पदक जीते जिनमें से 84 स्वर्ण, 64 रजत तथा 67 कांस्य पदक हैं। इस वर्ष खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा।

भारत सरकार की "पारितोषिक राशि" प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत इस राज्य के 93 विद्यालयों ने 10.80 लाख रुपये की राशि प्राप्त की।

500 प्राथमिक विद्यालयों का खेल का सामान प्रदान करने के लिए तथा खेलों की सुविधा बढ़ाने के लिए 3,000/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से 15 लाख रुपये व्यय किये गये।

वर्ष 1987-88 में भारत स्काउट्स एवं गाइड्ज संघ को विद्यार्थियों के शिविर लगाने तथा संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए 4.73 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

6.6 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण, प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है। इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह-संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी पर तथा उनके लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता है। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है। वर्ष 1987-88 में अध्यापक कल्याण कोष हेतु 12,39,993 रुपये एकत्रित किए गए तथा इसमें से 7,85,243 रुपये शिक्षकों तथा उनके परिवारों को सहायतार्थ दिये गये।

6.7 बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों, वंचित वर्ग तथा निर्धन बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की हुई है। वर्ष 1987-88 से सरकार ने उनके उनके लिए पुस्तकें खरीदने हेतु 15 लाख रुपये योजना-धीन तथा 22.50 लाख रुपये योजनागत स्वीकृत किये।

6.8 पाठ्य पुस्तक कक्ष

वर्ष 1987-88 में छात्र संख्या को देखते हुये निदेशालय द्वारा पिछले स्टाक के अनुसार कक्षा 1-8 की पुस्तकों के मुद्रणादेश नयंत्रक, मुद्रण एवं लेखण सामग्री, हरियाणा को दिये गये। इस वर्ष लगभग 44 पुस्तकों के टाईटलज छपवाए, इनमें से कुल 13 नई पाठ्य पुस्तकें छपवाई व पाठ्य पुस्तकें मिडल स्तर के लिए लेखकों से लिखवाई गई तथा 4 पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक स्तर के लिए निदेशालय में कार्यरत विषय विशेषज्ञों तथा एस. सी. ई. आर. टी. के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार की। इनका मुद्रण निदेशालय ने करवाया जिसके लिए टाईटल चित्र भी निदेशालय स्तर पर बनवाए गये। पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय से ये पुस्तकें छपवाई जाती हैं। निदेशालय तथा प्रेस मिलकर पुस्तकों के वितरण के कार्य की रूप रेखा बनाते हैं जिसके अनुसार सभी विद्यालयों के मुखिया अपनी

आवश्यकता अनुसार पुस्तकें डिपुओं से प्राप्त करते हैं तथा कुछ पुस्तकें बाजार में भी उपलब्ध करवाई जाती है । यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष छपने वाली पुस्तकों का निदेशालय स्तर पर पुनः निरीक्षण/संशोधन/पुस्तकों को अपडेट किया गया, जिन विषयों के विशेषज्ञ यहां उपलब्ध नहीं थे वे पुस्तकें एस. सी. ई. आर. टी. से अवलोकन करवाई गईं ।

कक्षा 1–5

कक्षा 1–5 की कुल 10 पुस्तकें छपवाई गई जिनमें से चार नई पुस्तकें थी तथा छ पुरानी, इनमें से 9 पुस्तकें रिलीज की जा चुकी हैं और एक पुस्तक अभी छपनी शेष है।

कक्षा 6–8

कुल 35 पुस्तकों के टाईटल्ज इस वर्ष छपवाए गये जिनमें से 9 पुस्तकें नई थी तथा शेष 26 पुरानी थी । इतिहास तथा नागरिक शास्त्र की एक पुस्तक और छपवाई गई थी, परन्तु प्रैस के कथानुसार स्टाक में इस पुस्तक के अधिक मात्रा में होने के कारण इस पुस्तक को रिलीज नहीं किया गया। इन पुस्तकों में से 4 पुस्तकें अभी तक प्रैस से छप कर नहीं आई हैं, दो पुस्तकें एस. सी. ई. आर. टी. गुडगावां में अवलोकनार्थ गई हुई हैं तथा शेष पुस्तकें रिलीज की जा चुकी हैं ।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए तीन अध्यापक संदेशिकाएं, कार्यानुभव कक्षा 1–5, प्रवेश अध्ययन कक्षा 1–2 तथा गणित कक्षा 1–2 तैयार करके छपने के लिए प्रैस भेजी गई, जो इन दिनों प्रैस में निर्माणाधीन है ।

6.9 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

शिक्षा के स्तरोन्नयन तथा विधिशोध, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है । अपने जन्म काल से ही यह परिषद अपनी विशिष्ठ

तथा विविध कार्यकलापों में संलग्न इकाईयों के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समयानुसार करने हेतु यथा सामर्थ्य प्रयासरत है ।

6.10 विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और वर्ष 1987-88 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 33,000/- रु0 की राशि स्वीकृत की गई ।

6.11 नई शिक्षा नीति

इस राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तीन निम्नलिखित समितियों का गठन किया हुआ है ।

1. मंत्री मण्डलीय उप समिति ।

2. उच्च शक्ति प्राप्त कर्णधार समिति ।

3. विभागीय समिति ।

वर्ष 1987-88 में मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

1. उन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्यों के पद सृजन किये जायें जिनमें 1000 से अधिक छात्र संख्या हो । अतः तदानुसार समिति ने 25 उप प्रधानाचार्यों के पद सृजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

2. समिति ने डी.पी. ई. के 30 पदों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

3. निदेशालय स्तर पर नई शिक्षा नीति के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

3.12 कम्पयूटर लिटरेसी

वर्ष 1987-88 में 15 विद्यालयों में कम्पयूटर लिटरेसी का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इससे पूर्व 26 विद्यालयों में कम्पयूटर लिटरेसी पहले ही चल रही थी। जो विद्यालय कम्पयूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन-2 अध्यापकों को कम्पयूटर लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया गया है और इस परियोजना की सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।

D- 6657
19-2-92

20701—D.P.I.—H.G.P., Chd.

NIEPA DC
D06657